के. मदलईमुथु और एक अन्य

बनाम

तमिलनाडु राज्य और अन्य

फरवरी 27, 2007

[डॉ. एआर. लक्ष्मणन और अलतमस कबीर, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 129- अवमानना याचिका- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा और असम्मान का आरोप- इस बीच याचिकाकर्ताओं को पारिणामिक लाभों के साथ पदोन्नत किया गया और न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः अनुपालन होना बताया गया- अभिनिर्धारित, कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अप्रतिबंधित और बिना शर्त क्षमायाचना के दृष्टिगत, अवमानना याचिका का निपटारा किया जाता है- न्यायालय की अवमानना।

सेवा विधि- तमिलनाडु पंजीकरण सेवा- अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण के संवर्ग में पदोन्नति।

याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 4.7.2006 के निर्णय और आदेश की अवज्ञा और असम्मान का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की। यह भी प्रार्थना की गई थी कि कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नत करने वाले दिनांक 25.7.2006 के आदेश को अपास्त किया जाए और अवमाननाकर्ताओं को दिनांक 4.7.2006 के निर्णय के संदर्भ में वरिष्ठता का पुनः निर्धारण करने तथा याचिकाकर्ताओं को तमिलनाडु पंजीकरण सेवा में अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया जाए।

इस बीच याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत किया गया और दिनांक 4.7.2006 के आदेश का पूर्णतः अनुपालन होना बताया गया। कथित अवमाननाकर्ताओं ने अप्रतिबंधित और बिना

शर्त क्षमायाचना प्रस्तुत की और कहा कि न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने का कोई आशय नहीं था; और आदेशों के कार्यान्वयन में केवल प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलंब के कारण विलंब हुआ।

अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: क्षमायाचना वास्तविक प्रतीत होती है। चूँकि उत्तरदाताओं ने अवमानना का परिमार्जन कर लिया है, मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए और उनकी आयु तथा भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हुए, न्यायालय में और शपथ-पत्रों में प्रस्तुत उनकी बिना शर्त क्षमायाचना को स्वीकार करके अवमानना याचिका का निपटारा किया जाता है। बार में दिए गए इस कथन को अभिलेख पर रखा जाता है कि पदोन्नति के परिणामस्वरूप वेतन और अन्य पारिणामिक लाभ नियमों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को दिए जाएंगे। [कंडिका 12 और 13] [398-बी-सी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2006 की अवमानना याचिका (सी) सं. 208।

में

2002 की दीवानी अपील सं. 2791-2793।

मद्रास उच्च न्यायालय के 1999 की रिट याचिका सं. 16806/98, 1548 और 1549 में दिनांक 24.12.2001 के निर्णय और अंतिम आदेश से।

याचिकाकर्ताओं की ओर से के. राममूर्ति, बी. बालाजी और सत्य मित्र गर्ग।

उत्तरदाताओं की ओर से सोली जे. सोराबजी, अल्ताफ अहमद, वी.जी. प्रगासम, एस. वल्लीनायगम और एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम।

हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पी.आर. कोविलन पूंगकुंट्रन, वी. वासुदेवन, नरेश कुमार, एस. रविशंकर, आर. यमुना नचियार, विदुषी टंडन।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

डॉ. एआर. लक्ष्मणन, न्यायमूर्ति 1. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राममूर्ति और उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोली जे. सोराबजी और श्री अल्ताफ अहमद को सुना है।

2. उपरोक्त अवमानना याचिका श्री के. मदलईमुथु और श्री ए. अरुमुगा नैनार द्वारा श्री एम. देवराज, आईएएस और श्री एम. मुथुसामी, आईएएस के विरुद्ध 2002 की सीए सं. 2791-2793 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.07.2006 के निर्णय और आदेश की जानबूझकर, स्वेच्छया अवज्ञा और असम्मान करने के लिए उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाहियां प्रारंभ करने तथा उत्तरदाता-अवमाननाकर्ताओं को इस न्यायालय के उक्त आदेश के उक्त उल्लंघन, अवज्ञा और असम्मान के लिए दंडित करने हेतु दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त अवमाननाकर्ताओं द्वारा पारित दिनांक 25.07.2006 के आदेशों को अपास्त करने की भी प्रार्थना की गई थी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के कनिष्ठ को अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण के संवर्ग में पदोन्नत किया गया था और प्रथम अवमाननाकर्ता के दिनांक 10.08.2006 के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गई थी, जिसके द्वारा उक्त कनिष्ठ को विद्यमान रिक्तियों में अपर निरीक्षक पंजीकरण के संवर्ग में अतिरिक्त रजिस्ट्रार चिट्स के रूप में पदस्थापित किया गया था।

3. तीसरी प्रार्थना अवमाननाकर्ताओं को 2002 की सी.ए. सं. 2791-2793 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.07.2006 के निर्णय के संदर्भ में वरिष्ठता का पुनः निर्धारण करने तथा याचिकाकर्ताओं को तमिलनाडु पंजीकरण सेवा में अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण के संवर्ग में पदोन्नत करने का निर्देश देने की है।

4. सूचना की तामील होने पर, दोनों उत्तरदाता पिछले अवसर पर हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं।

5. उत्तरदाताओं ने श्री एम. देवराज, आई.ए.एस. के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में हुए विलंब को स्पष्ट करते हुए उत्तर शपथ-पत्र दायर किया है।

कंडिका 3 में, श्री देवराज ने अपने कृत्य के लिए बिना शर्त क्षमायाचना प्रस्तुत की है। शपथ-पत्र के निष्कर्ष भाग में, उन्होंने कहा है कि इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने का कोई आशय नहीं था और आदेशों के कार्यान्वयन में केवल प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलंब के कारण विलंब हुआ। यह आगे कहा गया है कि उत्तरदाता विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का अत्यधिक सम्मान के साथ और अक्षरशः अनुपालन करते रहे हैं।

6. उक्त शपथ-पत्र की कंडिका 6 में, उन्होंने इस न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने में हुए विलंब के लिए अपना हार्दिक खेद व्यक्त किया और यह उक्त शपथ-पत्र की उपरोक्त कंडिका में उल्लिखित कारणों से हुआ है। यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने का उनका कभी कोई आशय नहीं था और यह कि उन्हें इस न्यायालय और इसके आदेशों के प्रति अत्यधिक सम्मान है।

7. निष्कर्ष भाग में, उन्होंने एक बार फिर अपनी अप्रतिबंधित और बिना शर्त क्षमायाचना प्रस्तुत की और प्रार्थना की कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई को इस न्यायालय के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने वाला न माना जाए और इस अवमानना कार्यवाही का परिमार्जन किया जाए।

8. हमने वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग द्वारा जारी विभाग- जी.ओ.(एमएस.) सं. 151 दिनांक 24.11.2006 (अनुलग्नक आर-1) द्वारा पारित आदेशों और महानिरीक्षक पंजीकरण (अनुलग्नक आर-2) दिनांक 24.11.2006 की कार्यवाहियों का भी अवलोकन किया है। श्री एम. देवराज, आई.ए.एस. के माध्यम से उत्तरदाताओं की ओर से एक अतिरिक्त शपथ-पत्र भी दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्युत्तर दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रत्युत्तर पर उत्तरदाताओं की ओर से एक अन्य उत्तर शपथ-पत्र दायर किया गया था। उक्त शपथ-पत्र में विलंब के कारणों को भी स्पष्ट किया गया है।

9. हमारा ध्यान तमिलनाडु सरकार, वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग- जी.ओ. (एमएस.) सं. 30 दिनांक 19.01.2007 द्वारा टीवीएल. के. मदलईमुथु और ए. अरुमुगा नैनार की उच्च पद के संबंध में प्रासंगिक पैनलों में वरिष्ठता को पुनः निर्धारित करने और जी.ओ. (एमएस.) सं. 31 दिनांक 19.01.2007- जिसके द्वारा तिरु के. मदलईमुथु को महानिरीक्षक पंजीकरण के कार्यालय में अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण (खुफिया) के रूप में पदोन्नत करने के संबंध में पारित आदेश की ओर भी आकृष्ट किया गया।

10. हमारा ध्यान जी.ओ.(एमएस.) 53, वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग, दिनांक 17.02.2007 और विशेष रूप से पृष्ठ 171 पर कंडिका 4 की ओर भी आकृष्ट किया गया जो इस प्रकार है :-

> "4. तमिलनाडु सेवा नियमावली, 1987 के भाग-II, खंड-I में समाविष्ट तमिलनाडु राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के सामान्य नियम 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु के राज्यपाल एतद्द्वारा तिरु ए. अरुमुगा नैनार के पक्ष में तमिलनाडु पंजीकरण सेवा के लिए अपर आईजीआर (अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण) के पद पर पदोन्नति के लिए उप महानिरीक्षक पंजीकरण के पद पर दो वर्ष की सेवा आवश्यक करने वाले विशेष नियम में छूट देते हैं, ताकि उन्हें अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण के रूप में पदोन्नत किया जा सके। परिणामस्वरूप तिरु ए. अरुमुगा नैनार का वेतन मूल नियम-27 के अंतर्गत नियमन 17 के अंतर्गत निर्धारित किया जाए।"

11. परिणामस्वरूप, दूसरे याचिकाकर्ता तिरु ए. अरुमुगा नैनार को पदोन्नत किया गया और महानिरीक्षक पंजीकरण, चेन्नई के कार्यालय में अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण के रूप में पदस्थापित किया गया। इस प्रकार यह देखा गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अब पूर्णतः अनुपालन कर लिया गया है, यद्यपि विलंब से। पिछले अवसर पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे ध्यान में यह बात लाई थी कि याचिकाकर्ताओं

को उनके आधिकारिक उपयोग के लिए कोई कार और कार्यालय कक्ष प्रदान नहीं किया गया है। आज, जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो महानिरीक्षक पंजीकरण, चेन्नई-28 द्वारा जारी कार्यवाही सं. 4428/एफ2/2007 दिनांक 23.02.2007 को हमारे समक्ष रखा गया। उक्त कार्यवाही इस प्रकार है :-

> "(1) आधिकारिक उपयोग के लिए एक बोलेरो कार संख्या टीएन 22 जी 0356 के साथ तिरु जयरामन नामक एक चालक को अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीकरण (खुफिया) को आवंटित किया गया है। तीसरी मंजिल पर दक्षिणी छोर में स्थित कार्यालय कक्ष उनके आधिकारिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।
>
> (2) आधिकारिक उपयोग के लिए एक बोलेरो कार संख्या टीएन 07 एजी 1234 के साथ तिरु चिन्नासामी नामक एक चालक को अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण (स्टाम्प और पंजीकरण) को आवंटित किया गया है। तीसरी मंजिल पर उत्तरी छोर में स्थित कार्यालय कक्ष उनके आधिकारिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।"

12. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोली जे. सोराबजी और श्री अल्ताफ अहमद ने भी इस न्यायालय को सूचित किया है कि पदोन्नति के परिणामस्वरूप वेतन और अन्य पारिणामिक लाभ नियमों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को दिए जाएंगे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए कथन को अभिलेख पर रखा जाता है।

13. हमने उत्तरदाताओं द्वारा अपने शपथ-पत्र में प्रस्तुत की गई क्षमायाचना का अवलोकन किया है। क्षमायाचना वास्तविक प्रतीत होती है। चूँकि उत्तरदाताओं ने अवमानना का परिमार्जन कर लिया है और मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा उनकी आयु और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हुए, हम न्यायालय में और शपथ-पत्रों में प्रस्तुत उनकी बिना शर्त क्षमायाचना को स्वीकार करके अवमानना याचिका का निपटारा करते हैं।

तदनुसार अवमानना याचिका का निपटारा किया जाता है। अवमानना सूचना को उन्मोचित किया जाता है।

अवमानना याचिका का निपटारा किया गया।

आर.पी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।